

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-26/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मो० अमजद, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सीतामढ़ी के दिनांक-29.06.2022 से 21.07.2022 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-352(25) दिनांक-13.02.2023 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 236 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-29.06.2022 से 18.07.2022 तक	-	कुल-20(बीस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-19.07.2022 से 21.07.2022 तक	-	कुल-03 असाधारण अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-26/2025-

18 28(2) पटना, दिनांक 31/7/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/अधीक्षक, सदर अस्पताल, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/डा० मो० अमजद, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सीतामढ़ी को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

६